कार्यालय जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर

फार्म [1]

№ 054899 16/11

372/308-94

सनद

(राजस्थान उपनिवेशन [सामान्य कालोनी] शर्तें, 1955 की शर्तं 9 के अधीन)

राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कालोनी) शर्तें 1955 की शर्तं 9 के अधीन श्री/श्रीमती ......
[illegible], D.R. पब्लिक स्कूल, [illegible]

पुत्र/पत्नि/पुत्री ...... जाति ...... निवासी ......

तहसील ...... जिला श्रीगंगानगर ...... को तहसील [illegible] ......

में निम्नलिखित भूमियों में एतद्द्वारा खातेदारी भू-धारण (टीनेन्सी) अधिकार प्रदान किए जाते हैं–

क्रम संख्या	गांव/चक का नाम	वर्ग संख्या व खसरा संख्या	क्षेत्रफल की विशिष्टियाँ			भूमि बर्गीकरण	टिप्पणी
			सिंचित किला न.	असिंचित किला न.	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3RTPI	186/180 (64)	10/.253	—	.253 है.	नहरी	[illegible] 11-8-77 24-10-83
2		185/181 (65)	6-7/.506, 8/.126	—	.632 है.	नहरी	[illegible] 1832)
3							
4							
5		(कुल [illegible] है. नहरी		[illegible]	.885 है.	नहरी	
6							
7							
8							
9							
10							

यह सनद एतद्द्वारा आज दिनांक 26.1.1994 को मेरे हस्ताक्षरों और मोहर से जारी की जाती है सनद फीस के केवल **25**/- (पच्चीस रूपये) का भुगतान एतद्-द्वारा अंगीकार किया जाता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

फार्म नं० प० 34 A-22

(10)

तीसरी प्रतिलिपि

नकदी चालान (अर्ज इरसाल)

रेवेन्यू विभाग

ग्राम 3RTP(I) तहसील सेंगरिया जिला गंगानगर

वर्ष——फसल——बुक नं०

शीर्ष का नाम—VII लैण्ड रेवेन्यू 1587 / 27/8/77

अर्ज इरसाल नं०

छोटे एवं विस्तृत शीर्ष	रसीद का नम्बर	रकम बकाया	चालू	योग
भूमि विक्रय राशि				
(1) सामान्य राजस्व			1575=00	
चक 3RTP I				
(2) भूमि-कर एवं लगान-आय				
कि० 65 कि० 6-7/2	8/11			
(3) खालसा की गई जागीर की आय				
कि० 64	10/11 कुल			
(4) विविध	= 3) बीघा	1575/-		
(5) @ 1050/- रू 1/2				
(6)				
सम्पूर्ण योग ...			1575=00	

2. जमा कराने वाले का नाम व्यवस्थापक डी० आर० पब्लिक स्कूल सेंगरिया

3. सलग्न रसीद नम्बर——तारीख——से

4. रवानगी तिथि सहित

पटवारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

कार्यालय जिलाधीश, श्रीगंगानगर

क्रमांक:- एफ12(3)(41)(राजस्व/77/ दिनांक:-

::आदेश::

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ12(3)(41)(राजस्व/77/8428-29 दिनांक 4-8-77 द्वारा चक 3 आर टी पी। की 3-00 बीघा भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक :3(ए)(राज/ग्रुप/68 दिनांक 6-5-71 के अन्तर्गत व्यवस्थापक डी.आर. पब्लिक स्कूल भोगेरिया को स्कूल भवन छात्रावास व खेल मैदान हेतु आवंटन की गयी थी।

व्यवस्थापक, डी.आर. पब्लिक स्कूल भोगेरिया ने अपने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि संस्था के साथ स्थित मु०नं० 64 का कि०नं० 10 का 0-10 बिस्वा भूमि खाली पड़ी है जो संस्था को आवंटन की जावें। व्यवस्थापक द्वारा निवेदन करने पर मामला कार्यालय पत्र क्रमांक 6821 दिनांक 6-5-83 द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प25(48)राज/ग्रुप/77 दिनांक 5-10-83 द्वारा अधिसूचना क्रमांक 3(ए)(राज/ग्रुप/68 दिनांक 6-5-71 के अन्तर्गत चक 3 आर टी पी। के मु०नं० 64 के कि०नं० 10 का 0-10 बीघा भूमि आरक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 25(48)(राज/ग्रुप/77 दिनांक 5-10-83 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3(ए)(राज/ग्रुप/68 दिनांक 6-5-71 के अनुसार चक 3आरटीपी। के मु०नं० 64 के कि०नं० 10 का 0-10 बिस्वा भूमि खेल मैदान हेतु व्यवस्थापक D.R. पब्लिक स्कूल भोगेरिया को आवंटन की जाती है। संस्था द्वारा आवंटित की जाने वाली भूमि की आरक्षित कीमत के 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी।

नियमानुसार रिकार्ड में अमल दरामद कर लिया जावें।

जिलाधीश, श्रीगंगानगर

क्रमांक:- एफ12(3)(41)(राजस्व/77/ 13247 दिनांक:- 24/10/83

प्रतिलिपि:-

1- उपजिलाधीश(राजस्व) हनुमानगढ़।
2- तहसीलदार(राजस्व) भोगेरिया को प्रेषित कर लेख है कि आप संस्था से भूमि का आरक्षित कीमत जमा करवा कर भूमि का कब्जा संस्था को सौंप देवें।
3- व्यवस्थापक, डी.आर. पब्लिक स्कूल भोगेरिया को पालनार्थ जावें।

जिलाधीश, श्रीगंगानगर

COURT FEE 1 Rc. भारत INDIA FOR COPYING FEES ONLY एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE 1 Rc. भारत INDIA FOR COPYING FEES ONLY एक रुपया ONE RUPEE

तथा छात्रावास के लिए आरक्षित कीमत की 50 प्रतिशत पर, इस शर्त के साथ आवंटित की स्वीकृति प्रदान की जाती है, कि आवंटित भूमि का प्रयोग उक्त प्रयोजनार्थ ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजनार्थ नही निया जावेगा और यदि ऐसा किया गया तो आवंटित भूमि राज्य सरकार के अधीन कर ली जावेगी तथा जमा कराई गई राशि उनको वापिस नही लौटाई जावेगी।

5- राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक एफ25(48)राज/उप/77 दिनांक 1/8/77 प्राप्त होने के उपरान्त ये आदेश जारी किये जा रहे हैं।

ह०/-
कृते जिलाधीश,
श्री गंगानगर।

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार
श्री गंगानगर (राज०)
13-1-83

मूल प्रति के अनुसार प्रतिलिपि सही है
पढ़ा 13/1/83
सुना 13/1/83

(१) नम्बर रजिस्टर 51
(२) तारीख दरख्वास्त 13-1-83
(३) तारीख ... 13-1-83
(४) तारीख ... 13-1-83
(५) नाम दरख्वास्त कुनिन्दा [illegible]
(६) तादाद कोर्ट फीस Rs 4 [illegible]
(७) नाम नकल नवीस [illegible]

(३)

नम्बर रसीद बही .... 6 ...

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले या आवेदन-पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

१. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम [illegible]

२. लेख्य-पत्र की किस्म ... [illegible]

३. निरीक्षण फीस जो प्राप्त हुई ... रु० पै०

४. बदल व शर्तों का [illegible]...

क. फीस रजिस्ट्री 10000 0

(१) साधारण फीस रजिस्ट्री ... 52 50

(२) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस ... 3 50

(३) धारा ६४, ६७ के अनुसार ज्ञापक जारी करने की फीस

ख. धारा ५७ के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों का प्रतिलिपि देने की फीस ...

ग. विविध फीस ...

(१) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणी-करण फीस ....

(२) धारा ६२ के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस

(३) धारा २५ व ३४ के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादन-कर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण जुर्माना हुई फीस ...

(४) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता ...

(५) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस ...

(६) संरक्षण फीस ...

(७) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत-पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस ...

(८) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस ...

(९) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस 56 50

फीस के प्राप्त होने की तारीख 16.1.74

Sub Registrar
SANGARIA.

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर

1786
26-X-83

[illegible]

[illegible] ([illegible])

[illegible]

3R TP — साँगरिया — श्री गंगानगर

83-84

A/c No. 16/11

068-मिसलेनियस [illegible]

[illegible] बैंक

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
सिरक ... 83-84			262=50
मीजान			262=50

41 (राजकी) ...

13246/...

3RTP64

कि 5 — 18/11

विवरण

भँवर-लाल ...

डी. आर. पब्लिक स्कूल
साँगरिया

STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR
SANGARIA
RECEIVED CASH
26 OCT 1983
Rs. 262/50 Cashier.

262=50

दो सौ बासठ रुपये पचास पैसे मात्र

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

प्र० सं० ६

कार्ड नं० २१

नकल नामान्तरकरण पंजिका ग्राम 3 R.T.P.T. तहसील संगरिया जिला गंगानगर राजस्थान

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
58	1		राम (भगवाननाथ)	काराम शर्मा जाति काली	६५ ६/५ ६/५ ६/५ ६४ १० ५ ३१			रामकिशन सामान	श्री ... पुत्र ... गैर खातेदार	६५ ६/५ ६/५ ६/५ ६४ १० ५			आवेदन श्रीमान जिलाधीश महोदय गंगानगर के आदेश क्रमांक एफ 12(3)(4) 29(7)/88-77 दिनांक 11.8.77 तहसीलदार संगरिया T.R.A. 83/233 दिनांक 7.4.83		श्रीमान जी मुताबिक आदेश कब्जा किया गया और इन्तकाल में स्वीकार करने के बाद हाजिर पेश है। ह०/ हल्का पटवारी 8/4/83

श्री ओमप्रकाश गिरदावर संगरिया मिलान किया गया इन्द्राज सही है। ह० गिरदावर 5/4/83 16.4.83

कार्यालय तहसीलदार संगरिया

16.4.83 श्रीमान जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक एफ 12(3)(4) 29(7)/86-77 दिनांक 11.8.77 की अनुपालना में स्वाल नं. 11 का इन्द्राज स्वीकृत किया जाता है। ह०/ हिन्दी

तहसीलदार संगरिया

मिलान किया

पढ़ा ह० 5.3.84

जुमा ह०

प्रमाणित प्रतिलिपि

तहसीलदार (भू०अ०) संगरिया

66

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY 50 PAISE

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY 50 PAISE

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY 50 PAISE

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY 50 PAISE

6

Ist copy

कार्यालय जिलाधीश, गंगानगर।

---0---

क्रमांक एफ.12(3)4(ii)राजस्व/77/8428 दिनांक 4-8-77

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया।

विषय:- श्री हंसराज बेनीवाल व्यवस्थापक डी.आर. पब्लिक स्कूल संगरिया बाबत चक 3 आर॰ टी॰पी॰(ए) में 3 बीघा भूमि आवंटन।

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत व्यवस्थापक, डी॰आर॰पब्लिक स्कूल, संगरिया द्वारा चक 3 आर॰टी॰पी॰(ए) का मु॰नं॰64 व 65 में 3-10 बीघा सिंचित भूमि आवंटन करने हेतु निवेदन किये जाने पर आपकी रिपोर्ट के अनुसार रकबा राज रिक्त है तथा नगर पालिका सीमा में है। संस्था पंजीबद्ध होने के कारण उक्त भूमि स्कूल को दिये जाने की सिफारिश आप द्वारा की गई थी।

2- राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.3(9)राज/ग्रुप/68 दिनांक 6-5-71 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय को स्कूल भवन, खेल के मैदान तथा छात्रावास को सम्मिलित करते हुऐ बारानी बंजर भूमि 5 एकड़ अथवा सिंचित भूमि 2½ एकड़ यानि 4-00 बीघा तक आवंटन की जा सकती है नियमों के अन्तर्गत गैर सरकारी रजिस्टर्ड संस्थाओं को 50 प्रतिशत आरक्षित दर से इस भूमि की कीमत भी देनी पड़ती है।

3- उक्त संस्था के पास एक बीघा भूमि पूर्व में ही है अतः नियमों के अन्तर्गत वो 3 बीघा और भूमि पाने के अधिकारी हैं।

4- अतः एवं व्यवस्थापक, डी॰आर॰पब्लिक स्कूल, संगरिया को चक 3 आर॰टी॰पी॰(ए) के 3 बीघा सिंचित भूमि स्कूल भवन, खेल के मैदान

.....2

(11)

नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम 3RTPL पटवार हल्का संगरिया भू. अ. निरीक्षक हल्का [illegible] तहसील संगरिया जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
वर्तमान जमाबन्दी (खतौनी) में शुद्धि किये जाने के लिए स्थापित प्रविष्टि							जमाबन्दी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए स्थापित प्रविष्टि								
66	1	किता 201	48.28			विभाग चक काश्त		डी. आर. पब्लिक स्कूल मार्फत संगरिया; लाभसिंह वल्द सवाईसिंह; विरस आयुक्ति; पाली जसपूरा	68/9	21.5			विलाधीश 4.11 महोदय सं. 12(3) (4) राजस्व 77/13246 दिनांक 24.10.83 व सं. 15(4) राजस्व 74/13462 दि. 28.10.83		श्रीमान् जी मुताबिक आदेश डी.आर. पब्लिक स्कूल संगरिया ... बाकी मंजूरी पेश है 23 ह. हिन्दी पटवारी

आज यह इन्तकाल मुकाम संगरिया पटवार हल्का संगरिया द्वारा पेश किया गया मुताबिक आदेश श्रीमान् जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर 28.10.83 व तहसील के आदेश दि. 2.11.83 के अनुसार रकबा नं. 9 वा 11 का इन्तकाल डी. आर. पब्लिक स्कूल संगरिया 26 व लाभसिंह वल्द सवाईसिंह जाट सा. संगरिया 2.11.83 के नाम दर्ज किया जाता है। ह. हिन्दी
ह. [illegible] (हंसराज) उपनिवेशन (तहसीलदार)

भू. अभिलेख निरीक्षक संगरिया ... इन्तकाल दर्ज ... 23.11.83

निशान | पिता

भू.अ. | [illegible] 11/3/84

प्रमाणित प्रतिलिपि ... संगरिया

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY दो रुपये TWO RUPEES

कार्यालय जिलाधीश, श्रीगंगानगर

क्रमांक एफ 4() राज/77/684 दिनांक:- 6-5-83

उप शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप) विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय:- आवेदन पत्र [illegible] डी आर पब्लिक स्कूल [illegible] को [illegible] 0-10 बीघा भूमि आवंटित करने बाबत।

-- 0 --

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की उक्त संस्था मिडिल स्कूल तक है तथा राज्य सरकार से स्थाई मान्यता प्राप्त है एवं अनुदान भी प्राप्त होता है। इस संस्था को पूर्व 3-10 बीघा भूमि आवंटित है एवं संस्था की स्थिती भूमि के पास [illegible] का मुरब्बा 64 के किला नं. 10 का 0-10 बीघा रकबा राजकीय है जो संस्था को आवंटन करने की व्यवस्था करें।

उक्त प्रकरण में निवेदन है कि संस्था के पास 1-00 बीघा भूमि सिंचित पूर्व में होने के कारण आपके पत्र क्रमांक एफ.6() 48/राज/ग्रुप/77 दिनांक 1-8-77 में पारित आदेश की पालना में कार्यालय पत्र क्रमांक 8428-29 दिनांक 4-8-77 द्वारा उक्त संस्था को 3-10 बीघा सिंचित भूमि और आवंटन की गयी थी। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.6() राज/ग्रुप/68 दिनांक 6-5-78 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय को बारानी / बंजर भूमि 8-00 बीघा तक आवंटन की जा सकती है। ऐसी भूमि उपलब्ध न होने पर सिंचित भूमि भी आवंटित की जा सकती है [illegible] आधी यानि 4-00 बीघा तक आवंटित की जा सकती है।

उक्त मामले में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 6-5-78 के अनुसार संस्था के पास पूर्व में ही निर्धारित सीमा तक भूमि है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गयी तो उन्होंने निवेदन किया है कि प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड में बारानी राज [illegible] दर्ज है। उक्त रकबा मौके पर खाली है तथा डी आर पब्लिक स्कूल के बच्चों का खेल मैदान बना रखा है। अत: उक्त रकबा संस्था को आवंटन कर दिया जावे तो उचित है।

अत: संस्था की मांग एवं तहसीलदार की रिपोर्ट तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए प्रस्तावित 0-10 बीघा भूमि संस्था को आवंटित कर दी जावे तो उचित है।

जिलाधीश, श्रीगंगानगर